भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4424
दिनांक 19 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम

4424. श्रीमती किरण खेरः
श्री सुनील कुमार पिंटूः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक विकास में ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को जोड़ने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए देश भर के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पूरा कर लिया है और यदि हां, तो पंजाब और बिहार सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र भी पोषण संबंधी कमी से निपटने के लिए आईसीडीएस कार्यक्रम का पालन करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों का सफलतापूर्वक आधुनिकीकरण करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी कर रही है और यदि हां, तो पंजाब और चंडीगढ़ सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख): आंगनवाड़ी केन्द्रों में महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आधुनिक एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है। पंजाब एवं बिहार सहित सभी राज्यों में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

i. आंगनवाड़ी सेवा (आईसीडीएस स्कीम) के साथ अभिसरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत देश में 4 लाख आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 17 फरवरी, 2016 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास

मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संशोधित संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्यवार विवरण अनुलग्नक-1 में उपलब्ध है।

ii. 87.4 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

iii. 71.98 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

iv. सुरक्षित पेयजल प्रदान करने हेतु वाटर फिल्टर, फर्नीचर, उपकरण आदि खरीदने के लिए अनुदान संस्वीकृत किए जाते हैं।

v. स्वच्छता कार्य योजना-पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 12000/- रूपये प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र तथा शौचालय की सुविधा प्रदान करने के लिए 10000/- प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र प्रदान किए जाते हैं।

vi. 30 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार आईसीडीएस-सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (सीएएस) के तहत आईटी समर्थित निगरानी के लिए 3.54 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्ट फोन दिए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक-2 में उपलब्ध है।

vii. पोषण अभियान के तहत विकास की निगरानी के लिए 11,51,517 तौल मशीनें तथा 5,37,187 स्टेडियो मीटर उपलब्ध कराये गए हैं।

viii. ईसीसीई के लिए निधियां बढ़ाकर 5000/- रूपये प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र की गई हैं। योजना में गतिविधि पुस्तिकाएं शामिल की गई हैं।

ix. पोषण संबंधी खामी के लिए एनएफएसए 2013 की अनुसूची 2 में निर्धारित मानदंडों का अनुसरण किया जाता है:

क्र.सं.	श्रेणियां	संशोधित मानदंड (प्रतिलाभार्थी प्रतिदिन)	
		कैलोरी	प्रोटीन (ग्राम)
1.	बच्चे (6-72 माह)	500	12-15
2.	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (6-72 माह)	800	20-25
3.	गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती माताएं	600	18-20

(ग): अधिक भार वाले जिलों में कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के अंग के रूप में अपने स्वयं के संसाधनों से मेसर्स वेदांता द्वारा 4000 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 21 दिसम्बर, 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मेसर्स वेदांता के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

मेसर्स वेदांता ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण शुरू कर दिया है। वेदांता द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 552 आंगनवाड़ी

भवनों (मध्य प्रदेश में 5 आंगनवाड़ी भवन, राजस्थान में 499 आंगनवाड़ी भवन और उत्तर प्रदेश में 48 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण 30/04/2019 तक पूरा हो चुका है।

*****

अनुलग्नक- I

'आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम' विषय पर दिनांक 19 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4424 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

एमजीएनआरईजीएस के साथ आंगनवाड़ी सेवाओं के अभिसरण के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों एवं स्वीकृत यूनिट की स्थिति

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	मनरेगा के तहत एडब्ल्यूसी भवनों का निर्माण (स्वीकृत यूनिट) 2015-16	निर्मुक्त निधि	मनरेगा के तहत एडब्ल्यूसी भवनों का निर्माण (स्वीकृत यूनिट) 2016-17	आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए निर्मुक्त निधि 2016-17	मनरेगा के तहत एडब्ल्यूसी भवनों का निर्माण (स्वीकृत यूनिट) 2018-19	मनरेगा के तहत एडब्ल्यूसी भवनों के लिए प्रस्तावित 2019-20	श्रम बजट 2019-20 स्वीकृत यूनिट	
								2015-16	2016-17
1	आंध्र प्रदेश	2628	3153.60	3928	4713.60	5000	600	6556	
2	बिहार	-	-	10335	12402.00	14030	1000	-	10,335
3	छत्तीसगढ	2000	2362.15	2000	2400.00	2000	2000	2000	2000
4	गोवा	-	-	-	-	100	100	-	-
5	गुजरात	-	-	431	517.20	2000	2000	-	431
6	हरियाणा	-	-	647	776.40	-	500	-	647
7	झारखंड	4000	2400.00	5000	6000.00	-	0	4000	5000
8	कर्नाटक	-	-	2844	3412.80	-	1000	-	2844
9	केरल	-	-	923	1107.60	1000	1000	-	923
10	मध्य प्रदेश	5000	6000.00	7000	8400.00	7000	10000	-	-
11	महाराष्ट्र	4908	2944.80	1720	2064.00	5000	250	-	6628
12	ओडिशा	5000	3000.00	7270	8724.00	11418	6036	5000	7270
13	पंजाब	-	-	1000	1200.00	-	15000	-	-
14	राजस्थान	1385	831.00	2000	2400.00	1000	0	1385	2000
15	तमिलनाडु	-	-	4303	5163.60	-	0	-	4302
16	तेलंगाना	1000	1200.00	1734	2080.80	1436	2000	1000	1734

17	उत्तर प्रदेश	3020	1812.00	17859	21430.80	10000	500	3020	17859
18	पश्चिम बंगाल	-	-	6782	8138.40	10381	6000	-	6782
19	हिमाचल प्रदेश	-	-	160	288.00	-	90	-	160
20	जम्मू और कश्मीर	-	-	863	1553.40	500	500	-	-
	राज्य	मनरेगा के तहत एडब्ल्यूसी भवनों का निर्माण (स्वीकृत यूनिट) 2015-16	निर्मुक्त निधि	मनरेगा के तहत एडब्ल्यूसी भवनों का निर्माण (स्वीकृत यूनिट) 2016-17	आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए निर्मुक्त निधि 2016-17	मनरेगा के तहत एडब्ल्यूसी भवनों का निर्माण (स्वीकृत यूनिट) 2018-19	मनरेगा के तहत एडब्ल्यूसी भवनों के लिए प्रस्तावित 2019-20	श्रम बजट 2019-20 स्वीकृत यूनिट	
								2015-16	2016-17
21	उत्तराखंड	-	-	2583	4649.40	1401	1401	-	2583
22	अंडमान और निकोबार द्वीप	-	-	-	-	50	20	-	-
23	दादरा और नागर हवेली	-	-	-	-	20	20	-	-
24	पुदुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-
25	असम	1000	900.00	1000	1800.00	500	1500	-	-
26	मणिपुर	-	-	-	-	1000	1000	-	-
27	मेघालय	-	-	790	1422.00	586	600	749	
28	मिजोरम	-	-	172	309.60	-	0	-	172
29	नागालैंड	-	-	-	-	525	0	-	-
30	सिक्किम	-	-	103	185.40	-	0	-	103
31	त्रिपुरा	-	-	-	-	300	100	-	-
	कुल	29941	24603.55	81447	101139.00	75247	58670	-	-

अनुलग्नक- **II**

‘आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ विषय पर दिनांक 19 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4424 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आईसीडीएस-सीएएस एप्लीकेशन के माध्यम से कवर किए गए आंगनवाड़ियों की संख्या **(30.06.2019 तक)**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1637
2.	आंध्र प्रदेश	55560
3.	बिहार	25500
4.	चंडीगढ़	450
5.	छत्तीसगढ	10473
6.	दादर और नागर हवेली	303
7.	दमण और दीव	102
8.	हिमाचल प्रदेश	7591
9.	झारखंड	10701
10.	मध्य प्रदेश	27799
11.	महाराष्ट्र	106400
12.	मेघालय	56
13.	मिजोरम	2169
14.	नागालैंड	3300
15.	पुद्दुचेरी	836
16.	राजस्थान	18730
17.	सिक्किम	819
18.	तमिलनाडु	18573
19.	तेलंगाना	10972
20.	उत्तर प्रदेश	50537
21.	उत्तराखंड	1534
		3,54,042